न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—387/2019/225 (2019/00387)

1. सुवा सिंह पुत्र हजारी, जाति रावत, निवासी ग्राम गवारड़ी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामा पुत्र कम्मा,
2. विजयसिंह पुत्र घीसा,
3. विक्रम सिंह पुत्र घीसा,
4. लालसिंह उर्फ फूलसिंह पुत्र घीसा,
5. नरेश सिंह पुत्र घीसा,
6. अशोक सिंह पुत्र घीसा,
7. गुमानी पुत्री घीसा,
8. रामसिंह पुत्र कामड (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8/1— सोहनी देवी पत्नि रामसिंह,
   8/2— देवीसिंह पुत्र रामसिंह,
   8/3— करणसिंह पुत्र रामसिह,
   8/4— शंकरसिंह पुत्र रामसिंह,
   8/5— सुगना पुत्र रामसिंह,
   8/6— सेवा पुत्री रामसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम गवारडी, तह0 व जिला अजमेर ।
9. मोहनसिंह पुत्र प्रेमसिंह,
10. बीरम सिंह पुत्र प्रेमसिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम गवारडी, तह0 व जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 3.10.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 03/2017.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट ।
2. श्रीमती सविता चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 8/1 से 8/6.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 7, 9, 10 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 12.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 3.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थी/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 727, 768, 769, 728 तथा 729 जो कि गवारड़ी, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है, प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । प्रार्थी की खातेदारी के खेत के पश्चिम दिशा की ओर आराजी खसरा नंबर 635 पर गांव बसा हुआ है । प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेतों पर जाने के लिए खेत खसरा नंबर 710/1045 पर से कदीमी रूप से आता–जाता है परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के खेतों पर आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे आराजी खसरा नंबर 710/1045 पर प्रार्थी को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान किया जावे तथा प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त रास्ते के लिए डी0एल0सी0 दर से दोगुनी राशि जमा कराने पर भी सहमति दर्ज की गई । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 3.10.2019 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजी के खेत खसरा नंबर 727, 728, 768, 769 व 729 पर आने जाने के लिए नवीन मार्ग प्रदान करने हेतु धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत रास्ते की मांग की थी, जिस पर अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण को तलब किया तथा तहसीलदार, अजमेर द्वारा भी मौके की जांच करवाई गई थी । मौका रिपोर्ट दिनांक 4.9.2018 के पैरा संख्या 3 में यह कथन अंकित किया था कि प्रार्थीगण खसरा नंबर 710/1045 में अपने खेतों में जाने के लिए पूर्व से पश्चिम 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहते है, इसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क भी जमा कराने के लिए सहमत है । खसरा नंबर 728, 729, 768, 769, 727 के खेत पर जाने के लिए खसरा नंबर 710/1045 से निकटतम दूरी है । उपरोक्त दिनांक के पश्चात् न्यायालय के द्वारा पुनः दिनांक 23.9.2019 को भेजी गई तहसीलदार रिपोर्ट जो कि पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 4.9.2019 के बिल्कुल विपरीत थी, पर सहमत होते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है । दिनांक 29.8.2019 में हल्का पटवारी के द्वारा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना एवं न्यूनतम दूरी का ये ही रास्ता उचित होना दर्शाया गया है । प्रार्थी के द्वारा जो रास्ता खसरा नंबर 710/1045 में चाहा गया है, वह मौके पर 15 फुट से कम है, जिसकी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आई थी और न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया जाना कि प्रार्थी के द्वारा जितना रास्ता चाहा गया है, वह मौके पर उपलब्ध नहीं है, के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत के समक्ष रास्ते बाबत् चाराजोही करनी चाहिये थी, किया गया निष्कर्ष गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत को धारा 251 के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बंद मार्ग को खोलने का अधिकार है ना कि नवीन मार्ग देने का । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थी ने राजस्व मानचित्र से यह साबित नहीं किया है कि जिस रास्ते की मांग प्रार्थी के द्वारा की गई है, वह मुख्य सड़क से किस प्रकार मिलता है अथवा जुडता है । इस बाबत् प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व मानचित्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि आराजी खसरा नंबर 710/1045 मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रही है जो कि गांव की आबादी से जुड़ती हुई मुख्य सड़क से जुडता है जिससे यह स्पष्ट था कि प्रार्थी को अपने खेतों पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता यही से प्रदान किया जा सकता था जो कि मुख्य सड़क से मिलता है । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । धारा 251–ए के तहत अन्य खातेदारी की जो से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना आदि के बाबत् प्रावधान दिये गये है । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को भली–भांति साबित किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट को अपने खेतों पर आने जाने के लिए मार्ग कीमतन दिये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 8/1 से 8/6 ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया । रेस्पो0 संख्या 8/1 से 8/6 की आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नंबर 710/1045 व कदीमती रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 93 के खसरा नंबर 727 रकबा 0.22 है0, खाता संख्या नया 106 पुराना 56 के खसरा संख्या 768 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 769 रकबा 0.19 है0 तथा खाता संख्या नया 17 पुराना 114 के खसरा नंबर 728 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 729 रकबा 0.24 है0 है जो ग्राम गवारडी तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के पश्चिमी दिशा की ओर ग्राम गवारडी जो कि खसरा संख्या 635 पर बसा हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेतों में जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 710/1045 में बने कदीमी कच्चे रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है । लेकिन पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर उक्त कदीम से चले आ रहे रास्ते को कांटों की बाड़ लगाकर बंद करने पर सख्त आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 710/1045 में अवस्थित कदीमी रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 710/1045 में से पूर्व से पश्चिम की ओर 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को प्रदान किया जावे । अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 710/1045 में कोई भी कदीम व कच्चा रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से कदीमी रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बताकर नया रास्ता बनवाना चाहते है । प्रार्थीगण ने रास्ता निकालने के उद्देश्य से नक्शा ट्रेस में डोट–डोट लगवाया है तथा पूर्व नक्शे में कोई भी डोट–डोट के निशान नहीं है जिस बाबत् प्रार्थीगण से पूर्व नक्शे की प्रति प्रस्तुत करवाई जावे । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, अजमेर से रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की गई । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख निरीक्षक गगवाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.8.2019 के अनुसार प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ग्राम गुवारडी के खसरा नंबर 710/1045 रकबा 0.03 है0 में से न्यूनतम लंबाई का रास्ता है । रिकार्ड अनुसार खसरा नंबर 710/1045 खातेदारान विजयसिंह, विक्रमसिंह, लालसिंह, नरेशसिंह, अशोकसिंह पि0 घीसा व गुमानी पुत्री घीसा, कौम रावत के नाम दर्ज है । प्रार्थी द्वारा 15 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है मौके पर रास्ता नहीं है । अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण को आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, न्यूनतम दूरी का यही रास्ता उचित है । प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता हेतु खसरा नंबर 710/1045 का कुल रकबा 0.03 है0 ही है जो पूरा रास्ते में प्रयुक्त होता है । खसरा नबर 710/1045 की चौड़ाई 15 फुट से कम है। तत्पश्चात् तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 23.9.2019 को दूसरी मौका रिपोर्ट अधी0न्याया0 को प्रेषित की गई जिसमें यह अंकित किया है कि "प्रार्थी द्वारा चाहा गया खसरा नंबर 710/1045 में से रास्ता रिकार्डेड किसी रास्ते से नहीं मिल रहा है । अतः प्रकरण में मुख्य सड़क के अभाव में रास्ता दिया जाना संभव नहीं है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। " अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 23.9.2019 के आधार पर प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख निरीक्षक, गगवाना की मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते को न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया गया है तथा प्रार्थीगण की आरायिजात में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होना भी अंकित किया है । इसके विपरीत तहसीलदार, अजमेर ने मौका रिपोर्ट दिनांक 23.3.2019 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया खसरा नंबर 710/1045 में से रास्ता रिकार्डेड किसी रास्ते से नहीं मिल रहा है । अतः प्रकरण में मुख्य सड़क के अभाव में रास्ता दिया जाना संभव नहीं है । उपरोक्त दोनों मौका रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है । अपीलांट ने अपील के विचाराधीन रहते कार्यालय ग्राम पंचायत, रसूलपुरा पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर का प्रमाण पत्र दिनांक 14.10.2019 पेश किया है जिसमें यह अंकित किया है कि खसरा नंबर 710/1045 रास्ते के रूप में काम आता है और ग्राम गवारडी के खसरा नंबर 635 से लगते हुए मुख्य मार्ग से मिलता है । सुवासिंह पुत्र हजारीसिंह के खेतों पर आने–जाने का रास्ता नहीं है, इन्हें रास्ता दिलाया जावे । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा किश्तवार ग्राम गुवारडी तहसील व जिला अजमेर सन् 1982–83 के अनुसार खसरा नंबर 710/1045, 729, 728 में डोटेड लाईन दर्शायी गयी है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में नक्शा ट्रेस के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा परस्पर दो विरोधाभाषी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर, नक्शा ट्रेस की जांच उपरांत निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.10.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष की मौजूदगी में रास्ते के संबंध में नवीन मौका रिपोर्ट तलब कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर